भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 653

दिनांक 05.02.2020 को उत्तर देने के लिए

वित्तीय धोखाधड़ी करने वालों का प्रत्यर्पण

653. **कुंवर दानिश अलीः**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2015 से आज की तिथि तक बैंकों के साथ वित्तीय अनियमितता में संलिप्त देश से ऐसे कितने भारतीय भाग गए हैं जो आपराधिक जांच के अंतर्गत हैं;

(ख) उन्होंने बैंक से कितनी राशि ली है;

(ग) उन्हें अब तक क्यों प्रत्यर्पित नहीं किया गया है; और

(घ) इन व्यक्तियों के प्रत्यर्पण हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) और (ख) संबंधित एजेंसियों द्वारा मंत्रालय को उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 2015 से बैंकों के साथ वित्तीय अनियमितताओं में शामिल भारतीयों के साथ-साथ आपराधिक जांच का सामना कर रहे भारतीयों की संख्या 72 है और इन मामलों में अपराधों से की गई कमाई की भारी रकम शामिल है।

(ग) और (घ) एलओसी, आरसीएन तथा प्रत्यर्पण अनुरोध जारी कर इन आरोपियों को देश में लाने के लिए अपनी पहल पर सक्रिय प्रयास किए जा रहे हैं। भगोड़े अर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (एफईओए) के अंतर्गत भी उपयुक्त मामलों में कार्रवाई शुरू की गई है। प्रत्यर्पण प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें संबंधित देश के साथ द्विपक्षीय संधि, यदि कोई हो, और उसके घरेलू कानूनों के अनुसार कानूनी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है।

****